भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1228

जिसका उत्तर 27.07.2023 को दिया जाना है

राजमार्ग का निर्माण

1228. प्रो. रीता बहुगुणा जोशी:
श्री उन्मेश भैय्यासाहेब पाटिल:
डॉ. सुजय विखे पाटील:
डॉ. हिना विजयकुमार गावीत:
श्री कृष्णपाल सिंह यादव:
डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का वर्तमान वित्तीय वर्ष में राजमार्गों के विकास और निर्माण की गति को बनाए रखने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार अवसंरचना निवेश न्यास के अतिरिक्त अन्य माध्यमों से निधियां जुटाने की योजना पर कार्य कर रही है और इसमें निजी क्षेत्र को भी शामिल किए जाने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकाकर के पास वर्ष 2023-24 के लिए राजमार्ग परियोजनाओं के निर्माण और सौंपे जाने संबंधी आंकड़े उपलब्ध हैं और यदि हां, तो विशेषकर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने ग्रीनफील्ड राजमार्ग गलियारों पर लेन में गाड़ी चलाने संबंधी घोर उल्लंघन से निपटने के लिए संकेत चित्र और रोड मार्किंग के लिए दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्णय लिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ड.) क्या सरकार संकेत चित्र और रोड मार्किंग के लिए विश्वस्तरीय सर्वोत्तम पद्धति का अनुसरण कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री
(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) जी, हां। मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए चालू वित्त वर्ष के दौरान 13,814 किलोमीटर का निर्माण लक्ष्य निर्धारित किया है।

(ख) मंत्रालय टीओटी, इनविट के माध्यम से परिसंपत्ति मुद्रीकरण और एसपीवी मॉडल (दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे की तरह) के माध्यम से प्रतिभूतिकरण द्वारा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लिए निधियां जुटाता है।

i. टीओटी मॉडल- इस मॉडल के तहत, उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रह का अधिकार रियायतग्राही द्वारा उद्धृत एकमुश्त राशि के अग्रिम भुगतान के निमित्त 15-30 वर्षों की निर्दिष्ट अवधि के लिए बोली प्रक्रिया के माध्यम से चुने गए रियायतग्राही को सौंपा जाता है। रियायत अवधि के दौरान, सड़क परिसंपत्तियों के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी रियायतग्राही की होती है।

ii. इनविट मॉडल- एनएचएआई ने सेबी इनविट विनियम, 2014 के तहत एक इनविट की स्थापना की है, जिसमें मुख्य निवेशकों (सीपीपीआईबी, ओटीपीपी आदि) के अलावा एनएचएआई की 16% हिस्सेदारी है। इनविट एक पूल निवेश माध्यम है जो निवेशकों को यूनीट जारी करता है और ट्रस्ट के प्रबंधन के लिए तीन संस्थाएं हैं - ट्रस्टी, निवेश प्रबंधक और परियोजना प्रबंधक। सेबी के विनियमों के तहत तीनों इकाइयों की भूमिकाए एवं दायित्व परिभाषित किए गए हैं।

iii. एसपीवी मॉडल के माध्यम से प्रतिभूतिकरण- विचाराधीन सड़क परिसंपत्तियों को इकट्ठा करके और सड़क परिसंपत्तियों से भविष्य के उपयोगकर्ता शुल्क को सुरक्षित करके दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के वित्तपोषण के लिए एक एसपीवी (एनएचएआई के 100% स्वामित्व) का सृजन किया गया है।

एनएचएआई संपत्ति मुद्रीकरण में अग्रणी रहा है और इसके आधे दशक पुराने कार्यक्रम में 70,000 करोड़ रुपये से अधिक का उत्पादन हुआ है।

(ग) मंत्रालय भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, एनएचआईडीसीएल, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र लोक निर्माण विभाग, सीमा सड़क संगठन आदि जैसी विभिन्न कार्यान्वयन एजेंसियों के माध्यम से परियोजनाओं का निष्पादन करता है। चालू वित्त वर्ष के दौरान, 30 जून, 2023 की स्थिति के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसियों ने उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश राज्यों सहित देश भर में 611 किमी के ठेके और 2,250 किमी के निर्माण की सूचना दी है।

(घ) और (ङ) मंत्रालय ने हाल ही में चालकों को बेहतर दृश्यता और सहज मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए सर्वोत्तम पद्धतियों और अंतर्राष्ट्रीय मानकों को शामिल करते हुए एक्सप्रेसवे और राष्ट्रीय राजमार्गों पर संकेतकों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों को ड्राइवरों को स्पष्ट और संक्षिप्त मार्गदर्शन, चेतावनियां, नोटिस और नियामक जानकारी प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है ताकि सड़कों पर निर्बाध और सुरक्षित यात्रा की सुविधा मिल सके।

*****